№ 013138

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21, 1860)

संख्या 2037.

वर्ष 2009-2010

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि देवी शकुन्तलम् प्रतिष्ठान, होटल गोपाल डीलक्स, धर्मशाला, पुरानी जी० टी० रोड, सासाराम, जिला-रोहतास, पिनकोड-८२१११५ (बिहार)।

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई ।

आज तारीख उन्नीस मास नवम्बर वर्ष दो हजार नौ को पटना में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया ।

संस्था निबंधन अधिनियम-21,1860 के अधीन निबंधन विभाग मात्र संस्था का निबंधन करता है। निबंधन को संस्था के वास्तव में कार्यरत होने या ना होने का प्रमाण या वित्तीय सहायता के प्रयोजन हेतु अनुशंसा नहीं माना जाए।

वास्ते, महानिरीक्षक, निबन्धन, बिहार, पटना ।

बि० स० मु० (निबन्धन) [illegible] बी० एन० सिंह

" देवी शकुन्तलम् प्रतिष्ठान "

का

संशोधित स्मृति–पत्र

1. **संस्था का नाम** :– **" देवी शकुन्तलम् प्रतिष्ठान "**

2. **निबंधित कार्यालय** :– इस संस्था का निबंधित कार्यालय–**होटल गोपाल डीलक्स, धर्मशाला,पुरानी जी0टी0रोड,सासाराम,जिला–रोहतास, पिन कोड–821115(बिहार) में रहेगा ।**
आवश्यकतानुसार कार्यालय स्थान परिवर्तन की सूचना 15 दिनों के अन्दर निबंधन विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग को दे दी जायेगी ।

3. **कार्यक्षेत्र** :– इस संस्था का कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष होगा ।

4. **उद्देश्य** :–

1. विकलांग बच्चों को प्रशिक्षण हेतु शहरों एवं गांवों में सरकार एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठानों से मदद लेकर विभिन्न कार्यक्रम चलाना तथा शिक्षा,पुर्नवास,भोजन,वस्त्र,दवा की व्यवस्था करना ।
2. शिक्षित बेरोजगार युवक एवं युवतियों को आतमनिर्भर बनाने के लिए कम्प्यूटर शिक्षा,इलेक्ट्रीशियन एवं टेलीविजन निर्माण एवं मरम्मति,टाईपिंग शार्टहैण्ड,ब्यूटीशियन कोर्स,इलेक्ट्रीकल्स,मोटर बाईडिंग इत्यादि का प्रशिक्षण देने का प्रयास करना ।
3. शिक्षा के प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन कर लोगों के बौद्धिक विकास में मदद करना । तकनीकी एवं गैर तकनींकी शिक्षण संस्थान का संचालन में मदद करना एवं आवासीय विद्यालय,पुस्तकालय, पत्र–पत्रिका,वाचनालय,पठन–पाठन कक्ष,छात्रावास,आध्यात्मिक शोध एवं प्रशिक्षण केन्द्र,हरिजन एवं आदिवासी विद्यालय,मुक एवं बधिर विकलांग विद्यालय का संचालन करना । गरीब,असहाय,विकलांग अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं को हरसंभव आर्थिक सहायता देकर आगे बढ़ने में मदद करना ।
4. संस्था द्वारा निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत अशिक्षित महिलाओं एवं बच्चों को साक्षर बनाने हेतु सर्वशिक्षा,प्रौढ़ शिक्षा,नारी शिक्षा,अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम का संचालन करना ।

5. अनुसूचित जाति,अल्पसंख्यक तथा पिछड़े वर्गो के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास का समुचित प्रयास करना तथा उनके उत्थान के लिए सरकार द्वारा चलाये जा रहें कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना ।

6. स्वास्थ्य की देखभाल के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रहने वाले निम्न वर्ग के लोगों के लिए चलन्त दवाखाना,कैंसर,कुष्ठ अस्पताल का संचालन करना सभी तरह के टीकाकरण शिविर का संचालन करना,रक्तदान, नेत्रदान एवं नेत्र चिकित्सा शिविर,परिवार नियोजन शिविर,मातृ एवं शिशु कल्याण शिविर का आयोजन कर लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करना तथा लाभान्वित करना ।

7. लोगों को स्वच्छता के महत्व को समझाना तथा स्वच्छ पेयजल,सुलभ शौचालय आवागमन की सुविधा,सिंचाई कुऑ,नलकुप,बोरिंग की सुविधा आदि उपलब्ध कराने का प्रयास करना तथा जलछाजन कार्यक्रमों को संचालित कर लोगों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना । इसके अलावा नाली ईटसोलिंग का प्रबंध करना ।

8. पर्यावरण को प्रदुषण मुक्त बनाने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रमों एवं प्रदुषण नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन करना तथा लोगों को अधिक से अधिक वृक्ष लगाने,लगे वृक्ष की रक्षा करने एवं अन्य जानकारी देना । जल,वायु एवं ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम करना तथा गैर पारम्परिक उर्जा एवं अन्य जानकारी देना । जल,वायु एवं ध्वनि प्रदूषणकी रोकथाम करना तथा गैर पारम्परिक उर्जा के बारे में जानकारी देना एवं उपलब्ध कराना ।

9. संस्था सामाजिक,सांस्कृतिक एवं राजनीतिक चेतना जागृत करने के उद्देश्य से स्टेज शो,नुक्कड़ नाटक,संगीत,नाटक,वाद्य का प्रशिक्षण आदि का संचालन करेगी ।

10. बाढ़,अकाल,भूकंप तथा अन्य दुर्घटनाओं एवं प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत कार्य का संचालन करना तथा पीड़ितों के बीच शिविर लगाकर भोजन,स्वच्छ पेयजल,वस्त्र,दवा,चिकित्सा,शिक्षा एवं पुर्नवास की व्यवस्था करना ।

11. लोगों को उपभोक्ता संरक्षण,पंचायती राज,महिला सशक्तिकरण,दलित मानवाधिकार,स्वंय सहायता समूह के गठन एवं संचालन के बारे में जानकारी देना तथा देश के महिला उत्पीड़न,मादा भ्रूण हत्या समाप्त कराने के लिए लोगों को जागरूक करना ।

12. लोगों को आर्थिक विकास हेतु शौचालय,पशुपालन के बारे में जानकारी देना तथा वन्य प्राणियों एवं पशु–पक्षी की रक्षा करना ।

Secretary
Devi [illegible]

13. वृद्ध पुरूष–महिलाओं,विकलांगों,निःसंतान,निराश्रितों के लिए आश्रय स्थल, अनाथालय,भोजन,चिकित्सा एवं मनोरंजन केन्द्र का संचालन करना ।

14. कृषि में सहयोग हेतु कृषि/मंत्रालय/विशेषज्ञों से आर्थिक एवं वैज्ञानिक सहयोग प्राप्त कर कृषकों को मशरूम की खेती,जैविक खाद,कीट नाश्क दवा,उन्नत बीज,आधुनिक औजार,उन्नत खाद,सिंचाई के उपयुक्त साधन,फाउण्डेशन बीज,सागा–सब्जी,औषधीय पौद्या,सुगंधित पौद्या,तिलहन–दलहन एवं विभिन्न खाद्य पदार्थो का उत्पादन हेतु प्रशिक्षण के साथ जागरूकता कार्यक्रम चलाना ।

15. संस्था सूचना तकनीक कम्युनिकेशन के अंतर्गत बेबसाईट,इंटरनेट के संबंध में लोगों को जानकारी एवं प्रशिक्षण दिलाने का कार्य करेगी ।

16. संस्था बागवानी,नर्सरी उद्योग फलदान वृक्षों एवं अन्य पेड़–पौधा कलम तैयार करने का प्रशिक्षण,कृषकों द्वारा उत्पादित फलों एवं फूलों के भंडारण हेतु शीतगृह की व्यवस्था तथा खपत हेतु बाजार,यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देने का प्रयास करेगी ।

17. महिलाओं के चौमुखी विकास,उनके लिए स्वरोजगार उपलब्ध कराने तथा समाज में महिलाओं की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए स्वंय सहायता समूह का गठन एवं संचालन करना,महिला जागरूकता का विकास कर महिलाओं को अपनी संस्था के माध्यम से राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा चलायी जा रहीं स्वंयसहायता समूह के गठन एवं संचालन की जानकारी देना,प्रशिक्षित कर उन्हें स्थानीय बैंक से जोड़ने का कार्य करना तथा उसे कम से कम व्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने तथा स्वरोजगार दिलाकर आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना ।

18. महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी बच्चों के विकास के लिए बालबाड़ी,पालनाघर एवं नारी शिक्षा केन्द्र का संचालन करना,महिलाओं को जानकारी देना तथा कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु जागरूकता का विकास करना ।

19. ज्ञान–विज्ञान के प्रचार–प्रसार के लिए बच्चों,युवाओं युवतियों तथा गरीब लोगों के बौद्धिक विकास के लिए पुस्तकालय,वाचनालय,पठन–पाठन कक्ष,अनाथालय,विद्यालय,महाविद्यालय,चिकित्सालय,तकनीकि शिक्षण संस्थान का संचालन करना तथा जन–जन को साक्षर बनाने का प्रयास करना । गरीब एवं मेधावी छात्र–छात्राओं को पुस्तक एवं लेखन सामग्री उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास करना ।

20. देश की अखण्डता की रक्षा के लिए जागरूकता अभियान का संचालन करना तथा समाज में व्याप्त अशिक्षा,अज्ञानता,जातिवाद,धर्मान्धता,आतकवाद, शोषण,नशाखोरी,औषधि दुरूप्योग,हत्या,बलात्कार,महिलाओं पर हो रहें अत्याचार,सामाजिक अपराध,दहेजप्रथा,बाल श्रमिक,महिला श्रमिक तथा सामाजिक कुरीतियों के निराकरण हेतु जन चेतना का विकास करना तथा सभा,गोष्ठी,सेमिनार,कार्यशाला आदि का आयोजन कर जागरूकता का विकास करना तथा इनको समाप्त करने का प्रयास करना ।

21. समाज के गरीब,असहाय,विकलांग,दलित,अल्पसंख्यक,अनाथबच्चों,महिलाओं, अनुसूचित जाति,जनजाति,पिछड़ी जाति,विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं के सामाजिक आर्थिक,नैतिक,मानसिक,सांस्कृतिक तथा शैक्षिक उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करना तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार से मिलने वाली आर्थिक सुविधाओं से उन्हें लाभान्वित कराने का प्रयास करना ।

22. असाध्य रोग यथा एड्स,कैंसर,कालाजार,कुष्ठ,हेपेटाईटिस बी,एच0आई0भी0 संक्रमण से बचने के लिए आवश्यक चिकित्सा,दवा,स्वास्थ्य सेवा तथा पुर्नवास की व्यवस्था करना तथा सभा,गोष्ठी,पदयात्रा आदि के माध्यम से रोकथाम एवं उन्मूलन के लए कार्य करना । साथ ही मूक बधिर,नेत्रहीन,मानसिक रूप से अविकसित बच्चों,व्यस्कों,महिलाओं के लिए चिकित्सा,पुर्नवास एवं कृत्रिम अंग की व्यवस्था कराने का हर संभव प्रयास करना ।

23. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब,असहाय,विकलांग महिलाओं एवं पुरूषों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई,कटिंग,बुनाई,एप्लीक निर्माण,गुड़िया निर्माण,लघु उद्योग,मधुमक्खी पालन,भेड़पालन,बकरीपालन, सुअरपालन,डेयरी उद्योग,मत्स्यपालन,चर्म उद्योग,साबुन उद्योग,सर्फ उद्योग, पशुपालन आदि का प्रशिक्षण देना तथा प्रशिक्षण का संचालन करना ।

24. कला एवं साांस्कृतिक विकास के लिए नृत्य,संगीत,वाद्ययंत्र आदि के माध्यम से कला का प्रचार–प्रसार करना,प्रशिक्षण की व्यवस्था करना । महिला कलाकार,बाल कलाकार एवं युवा कलाकारों को प्रोत्साहित करना एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना ।

5. निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता / पति का नाम, पता,जीवकोपार्जन के साधन, पद एवं स्वहस्ताक्षरित फोटो नीचे दिया गया है । वर्त्तमान के कार्यकारिणी समिति के सदस्य है, जिन पर संस्था के नियमानुसार प्रबंध का भार सौपा गया है ।

क्र0	नाम, पिता / पति का नाम	पता	जीवकोपार्जन का साधन	पद	स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटो
1	2	3	4	5	6
1	श्री सच्चिदानंद ओझा पिता–स्व0 जगन्नाथ ओझा	मोहल्ला–खिलनगंज सासाराम थाना+पो0+अंचल–सासाराम, जिला–रोहतास,बिहार	समाज सेवा	अध्यक्ष	
2	श्री अनिल कुमार सिंह पिता–श्री सिया राम सिंह	मोहल्ला–खिलनगंज सासाराम थाना+पो0+अंचल–सासाराम, जिला–रोहतास,बिहार	व्यवसाय / सह समाज सेवा	सचिव	
3	दीपक कुमार पिता–बुधन प्रसाद	87,गली नं0–4,खिलनगंज, सासाराम,रोहतास बिहार–821115	समाज सेवा	कोषाध्यक्ष	
4	श्री प्रदीप कुमार गुप्ता पिता–श्री मुंशी प्रसाद गुप्ता	मोहल्ला–खिलनगंज, डाकघर–सासाराम, जिला–रोहतास ।	समाज सेवा	सदस्य	

Secretary
D... Shakun... Pratisthan

1	2	3	4	5	6
5	पूनम कुमारी पति –रौशन कुमार	78 डी.मेन गली, वार्ड नं0–31,खिलनगंज, सासाराम,रोहतास ।	समाज सेवा	सदस्य	
6	अभय सिंह पिता–अनिरूद्ध सिंह	ग्राम+पो0–अवरैयाँ, अजगर,कैमूर,भभूआ	समाज सेवा	सदस्य	
7	श्री विनोद कुमार पिता–जगदीश प्रसाद गुप्ता	मु0–शेरगंज, थाना–पो0–सासाराम जिला–रोहतास,बिहार	समाज सेवा	सदस्य	

प्रमाणित किया जाता है कि यह संशोधित स्मृति पत्र की सच्ची प्रति है ।

अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

सचिव

Secretary

" देवी शकुन्तलम् प्रतिष्ठान "

की

संशोधित नियमावली

1. **परिभाषा**

क– संस्था से अभिप्राय है :– " देवी शकुन्तलम् प्रतिष्ठान "

ख– समिति से अभिप्राय है :– संस्था की कार्यकारिणी समिति ।

ग– पदाधिकारी से अभिप्राय है :– अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष ।

घ– वर्ष से अभिप्राय है :– 01 लीं अप्रैल से 31 मार्च तक ।

ड– एक्ट से अभिप्राय है :– सोसाईटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21,1860 ।

2. **सदस्यता**

कोई भी महिला एवं पुरूष जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक उम्र के होगें,और जो संस्था के नियमों एवं उद्‌देश्यों का पालन करेंगे, संस्था का सदस्य बन सकते है । सदस्य बनने के लिए आवेदन पत्र देना होगा, जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रदान की जाएगी संस्था के प्रत्येक सदस्य को 51/–रूपया वार्षिक सदस्यता शुल्क देना अनिवार्य होगा ।

3. **सदस्यता से विमुक्ति :–**

क– स्वयं त्याग पत्र देने पर ।

ख– पागल या मृत्यु होने पर ।

ग– न्यायालय द्वारा दंडित होने पर ।

घ– सदस्यता शुल्क लगातार तीन वर्ष तक नहीं देने पर ।

ड– लगातार तीन बैठकों में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने पर ।

च– समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर ।

4. **कार्यकारिणी समिति का गठन :–**

क– कार्यकारिणी समिति में पदाधिकारी सहित कम से कम 07 सदस्य होंगे ।

ख– कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव आमसभा द्वारा किया जाएगा ।

ग– समिति का कार्यकाल पॉच वर्षो की होगा । सेवा निवृत सदस्य पुनः चुने जा सकते है ।

घ– अगर समिति का कोई पद रिक्त होगा तो शेष अवधि के लिए उक्त पद पर किसी सदस्य को मनोनीत कर सकती है किन्तु वार्षिक बेठक में विधिवत चुनाव करा लेना होगा । चुने हुए पदाधिकारी एवं सदस्य अपने पद के अनुरूप कार्य करेंगें ।

Secretary
Devi Shakuntalam Pratisthan

5. **कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कार्य :–**

क– संस्था के चल एवं अचल सम्पति के उत्तरदायी होगा ।

ख– संस्था के सभी कार्यो का सम्पादन विधिवत करना तथा प्रस्ताव पारित करना ।

ग– शाखा एवं उपशाखा का गठन करना ।

घ– उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

6. **आम सभा के अधिकार एवं कर्त्तव्य :–**

क– समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निर्वाचन करना ।

ख– संस्था के आय–व्यय लेखा पर विचार कर स्वीकृति देना ।

7. **बैठक :–**

क– कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक छः माह में होगी ।

ख– आमसभा की बैठक प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में होगी ।

ग– कार्यकारिणी समिति की अत्यावश्यक बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है ।

घ– आमसभा की विशेष बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है ।

8. **बैठक की सूचना :–**

क– कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दी जाएगी

ख– आम सभा के बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जाएगी ।

ग– कार्यकारिणी समिति की विशेष बैठक की सूचना 4 दिन पूर्व दी जाएगी ।

घ– आम सभा की विशेष बैठक की सूचना 04 दिन पूर्व दी जाएगी ।

ड– बैठक की सूचना, सूचना पंजी पर हस्ताक्षर प्राप्त कर या डाक द्वारा दी जाएगी ।

09. **प्रार्थित बैठक**

दो तिहाई सदस्यों की लिखित मांग पर आवेदन प्राप्ति के एक माह के अन्दर सचिव को बैठक बुलाना होगा । यदि सचिव उक्त अवधि के अंदर बैठक का आयोजन नहीं करते हैं तो आवेदकों को अधिकार होगा कि आवेदन पत्र में लिखित विषय के लिए बैठक का आयोजन कर सकते हैं।

10.. **कोरम (गणपूर्ति)**

प्रत्येक बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 3/5 बहुमत होगा । कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जाएगी और पुनः स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्कता नहीं होगी ।

11. **पदाधिकारियों के कार्य एवं अधिकार :–**

अध्यक्ष

क– संस्था के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना ।
ख– कार्यवाही पंजी पर अपना हस्ताक्षर करना ।
ग– किसी विषय पर समान मत होने की स्थिति में अपने निर्णायक मत का उपयोग करना ।
घ– उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

सचिव

क– संस्था के प्रत्येक बैठक का आयोजन करना ।
ख– संस्था की ओर से पत्राचार करना ।
ग– आय–व्यय का लेखा बैठक में प्रस्तुत करना ।
घ– संस्था के निधि का अंकेक्षण कराना ।
ड– कार्यवाही को कार्यवाही पंजी में लिखना एवं अध्यक्ष से हस्ताक्षर कराकर अपना हस्ताक्षर करना ।
च– कार्यकारणी समिति की राय से कर्मचारियों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी के आदेश पारित करना
छ– उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

कोषाध्यक्ष

क– संस्था के आय–व्यय का हिसाब रखना और अध्यक्ष के द्वारा आहूत बैठक में प्रस्तुत करना ।
ख– संस्था के सदस्यता शुल्क, प्रवेश शुल्क, दान, चन्दा आदि प्राप्त कर रसीद देना ।
ग– संस्था के कोष को किसी बैंक या डाकघर में संस्था के नाम से जमा करना ।
घ– आवश्यकतानुसार अपने पास 1000/–रू0 तक रखना और विशेष खर्च के लिए समिति की बैठक से पास कराकर कार्य करना ।

12. **आय का श्रोत :–**

क– सदस्यता शुल्क एवं प्रवेश शुल्क ।
ख– सरकारी, गैर सरकारी,दान, अनुदान, सहायता ।
ग– प्रशिक्षण के दौरान संस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं के बिकी से ।

13. **निधि का अंकेक्षण :-**

क- संस्था की आय-व्यय का लेखा नियमित रूप से रखा जाएगा तथा आमसभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से प्रतिवर्ष अंकेक्षित कराया जाएगा ।

ख- निबंधन महानिरीक्षक,बिहार अपने विवेक से जब भी चाहे संस्था का अंकेक्षण मान्यता प्राप्त चार्टड एकाउन्टेन्ट से करा सकते है । इस अंकेक्षण हेतु चार्टडएकाउन्टेन्ट का शुल्क संस्था द्वारा वहन किया जाएगा ।

14. **कोष का संचालन :-**

संस्था के सभी कोष को किसी बैंक या डाकघर में संस्था के नाम पर जमा किया जायेगा, जिसकी निकासी अध्यक्ष,सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर से की जायेगी ।

15. **पंजी का निरीक्षण :-**

संस्था का सभी पंजियॉ निबंधित कार्यालय में जमा रहेगी जहॉ कोई भी सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से सदस्य पंजी लेखा पंजी एवं कार्यवाही पंजी का निरीक्षण कर सकते है ।

16. **नियमावली में संशोधन :-**

नियमावली में संशोधन आमसभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जाएगा ।

17. कानूनी कार्रवाई -

संस्था पर या संस्था के द्वारा कानूनी कार्रवाई सचिव के पदनाम से होगी तथा अधिवक्ता की नियुक्ति समिति के सलाह से की जायेगी ।

18. **विघटन एवं विघटनोपरान्त सम्पति की व्यवस्था :-**

क- संस्था का विघटन संस्था अधिनियम 1860 के धारा- 13 के आलोक में सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जायेगा ।

ख- आमसभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही संस्था का विघटन किया जायेगा ।

ग- विघटन के उपरान्त जो चल एवं अचल सम्पति बचेगी वह किसी सदस्य या गैर सदस्यों में नहीं बांटी जायेगी बल्कि आम सभा की सहमति से समान उद्देश्य वाली संस्था या सरकार को दे दी जायेगी ।

....

प्रमाणित किया जाता है कि यह संशोधित नियमावली की सच्ची प्रति है ।

Sachidanand ... | |
---|---|---
अध्यक्ष | **कोषाध्यक्ष** | **सचिव**

" देवी शकुन्तलम् प्रतिष्ठान "

का

तुलनात्मक स्मृति–पत्र

1. **संस्था का नाम** :– " देवी शकुन्तलम् प्रतिष्ठान "

2. **निबंधित कार्यालय** :– इस संस्था का निबंधित कार्यालय– होटल गोपाल डीलक्स,धर्मशाला, पुरानी जी0टी0रोड,सासाराम,जिला–रोहतास, पिन कोड–821115(बिहार) में रहेगा । आवश्यकतानुसार कार्यालय स्थान परिवर्तन की सूचना 15 दिनों के अन्दर निबंधन विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग को दे दी जायगी ।

3. **कार्यक्षेत्र** :– इस संस्था का कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष होगा ।

4. **उद्देश्य** :–

   1. विकलांग बच्चों को प्रशिक्षण हेतु शहरों एवं गांवों में सरकार एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठानों से मदद लेकर विभिन्न कार्यक्रम चलाना तथा शिक्षा,पुनर्वास,भोजन,वस्त्र,दवा की व्यवस्था करना ।
   2. शिक्षित बेरोजगार युवक एवं युवतियों को आतमनिर्भर बनाने के लिए कम्प्यूटर शिक्षा,इलेक्ट्रीशियन एवं टेलीविजन निर्माण एवं मरम्मति,टाईपिंग शार्टहैण्ड,ब्यूटीशियन कोर्स,इलेक्ट्रीकल्स, मोटर बाईडिंग इत्यादि का प्रशिक्षण देने का प्रयास करना ।
   3. शिक्षा के प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन कर लोगों के बौद्धिक विकास में मदद करना । तकनीकी एवं गैर तकनीकी शिक्षण संस्थान का संचालन में मदद करना एवं आवासीय विद्यालय,पुस्तकालय, पत्र–पत्रिका,वाचनालय,पठन पाठन कक्ष,छात्रावास,आध्यात्मिक शोध एवं प्रशिक्षण केन्द्र,हरिजन एवं आदिवासी विद्यालय,मुक एवं बधिर विकलांग विद्यालय का संचालन करना । गरीब,असहाय,विकलांग अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं को हरसंभव आर्थिक सहायता देकर आगे बढ़ने में मदद करना ।

" देवी शकुन्तलम् प्रतिष्ठान "

का

तुलनात्मक स्मृति–पत्र

1. **संस्था का नाम** :– " तदैव "

2. **निबंधित कार्यालय** :– तदैव ।

3. **कार्यक्षेत्र** :– तदैव ।

4. **उद्देश्य** :– तदैव :–

   1. तदैव ।
   2. तदैव ।
   3. तदैव ।

Secretary

Devi Shakuntalam Pratisthan

4. संस्था द्वारा निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत अशिक्षित महिलाओं एवं बच्चों को साक्षर बनाने हेतु सर्वशिक्षा,प्रौढ़ शिक्षा,नारी शिक्षा,अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम का संचालन करना ।	4. तदैव ।
5. अनुसूचित जाति,अल्पसंख्यक तथा पिछड़े वर्गो के सामाजिक, आर्थिक,शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास का समुचित प्रयास करना तथा उनके उत्थान के लिए सरकार द्वारा चलाये जा रहें कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना ।	5. तदैव ।
6. स्वास्थ्य की देखभाल के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रहने वाले निम्न वर्ग के लोगों के लिए चलन्त दवाखाना,कैंसर,कुष्ठ अस्पताल का संचालन करना सभी तरह के टीकाकरण शिविर का संचालन करना,रक्तदान,नेत्रदान एवं नेत्र चिकित्सा शिविर,परिवार नियोजन शिविर,मातृ एवं शिशु कल्याण शिविर का आयोजन कर लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करना तथा लाभान्वित करना ।	6. तदैव ।
7. लोगों को स्वच्छता के महत्व को समझाना तथा स्वच्छ पेयजल,सुलभ शौचालय आवागमन की सुविधा,सिंचाई कुआँ,नलकुप,बोरिंग की सुविधा आदि उपलब्ध कराने का प्रयास करना तथा जलाछाजन कार्यक्रमों को संचालित कर लोगों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना । इसके अलावा नाली ईटसोलिंग का प्रबंध करना ।	7. तदैव ।
8. पर्यावरण को प्रदुषण मुक्त बनाने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रमों एवं प्रदुषण नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन करना तथा लोगों को अधिक से अधिक वृक्ष लगाने,लगे वृक्ष की रक्षा करने एवं अन्य जानकारी देना । जल,वायु एवं ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम करना तथा गैर पारम्परिक उर्जा एवं अन्य जानकारी देना । जल,वायु एवं ध्वनि प्रदूषणकी रोकथाम करना तथा गैर पारम्परिक ऊर्जा के बारे में जानकारी देना एवं उपलब्ध कराना ।	8. तदैव ।

9.	संस्था सामाजिक,सांस्कृतिक एवं राजनीतिक चेतना जागृत करने के उद्देश्य से स्टेज शो,नुक्कड़ नाटक,संगीत,नाटक,वाद्य का प्रशिक्षण आदि का संचालन करेगी ।	9. तदैव ।
10.	बाढ़,अकाल,भूकंप तथा अन्य दुर्घटनाओं एवं प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत कार्य का संचालन करना तथा पीड़ितों के बीच शिविर लगाकर भोजन,स्वच्छ पेयजल,वस्त्र,दवा,चिकित्सा,शिक्षा एवं पुर्नवास की व्यवस्था करना ।	10. तदैव ।
11.	लोगों को उपभोक्ता संरक्षण,पंचायती राज,महिला सशक्तिकरण,दलित मानवाधिकार,स्वंय सहायता समूह के गठन एवं संचालन के बारे में जानकारी देना तथा देश के महिला उत्पीड़न,मादा भ्रूण हत्या समाप्त कराने के लिए लोगों को जागरूक करना ।	11. तदैव ।
12.	लोगों को आर्थिक विकास हेतु शौचालय,पशुपालन के बारे में जानकारी देना तथा वन्य प्राणियों एवं पशु—पक्षी की रक्षा करना ।	12. तदैव ।
13.	वृद्ध पुरूष—महिलाओं,विकलांगों,निःसंतान,निराश्रितों के लिए आश्रय स्थल, अनाथालय,भोजन,चिकित्सा एवं मनोरंजन केन्द्र का संचालन करना ।	13. तदैव ।
14.	कृषि में सहयोग हेतु कृषि/मंत्रालय/विशेषज्ञों से आर्थिक एवं वैज्ञानिक सहयोग प्राप्त कर कृषकों को मशरूम की खेती,जैविक खाद,कीट नाशक दवा,उन्नत बीज,आधुनिक औजार,उन्नत खाद,सिंचाई के उपयुक्त साधन,फाउण्डेशन बीज,सागा—सब्जी,औषधीय पौधा,सुगंधित पौधा,तिलहन—दलहन एवं विभिन्न खाद्य पदार्थो का उत्पादन हेतु प्रशिक्षण के साथ जागरूकता कार्यक्रम चलाना ।	14. तदैव ।
15.	संस्था सूचना तकनीक कम्युनिकेशन के अंतर्गत बेबसाईट,इंटरनेट के माध्यम से लोगों को जानकारी एवं प्रशिक्षण दिलाने का कार्य करेगी ।	15. तदैव ।

Secretary
Devi Sh[illegible]

16. संस्था बागवानी,नर्सरी उद्योग फलदान वृक्षों एवं अन्य पेड़–पौधा कलम तैयार करने का प्रशिक्षण,कृषकों द्वारा उत्पादित फलों एवं फूलों के भंडारण हेतु शीतगृह की व्यवस्था तथा खपत हेतु बाजार,यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देने का प्रयास करेगी ।	16. तदैव ।
17. महिलाओं के चौमुखी विकास,उनके लिए स्वरोजगार उपलब्ध कराने तथा समाज में महिलाओं की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए स्वंय सहायता समूह का गठन एवं संचालन करना,महिला जागरूकता का विकास कर महिलाओं को अपनी संस्था के माध्यम से राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा चलायी जा रहीं स्वंयसहायता समूह के गठन एवं संचालन की जानकारी देना,प्रशिक्षित कर उन्हें स्थानीय बैंक से जोड़ने का कार्य करना तथा उसे कम से कम व्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने तथा स्वरोजगार दिलाकर आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना ।	17. तदैव ।
18. महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी बच्चों के विकास के लिए बालबाड़ी,पालनाघर एवं नारी शिक्षा केन्द्र का संचालन करना,महिलाओं को जानकारी देना तथा कार्यकमों को सफल बनाने हेतु जागरूकता का विकास करना ।	18. तदैव ।
19. ज्ञान–विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए बच्चों,युवाओं युवतियों तथा गरीब लोगों के बौद्धिक विकास के लिए पुस्तकालय,वाचनालय,पठन–पाठन कक्ष,अनाथालय,विद्यालय, महाविद्यालय,चिकित्सालय,तकनीकि शिक्षण संस्थान का संचालन करना तथा जन जन को साक्षर बनाने का प्रयास करना । गरीब एवं मेधावी छात्र–छात्राओं को पुस्तक एवं लेखन सामग्री उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास करना ।	19. तदैव ।

20.	देश की अखण्डता की रक्षा के लिए जागरूकता अभियान का संचालन करना तथा समाज में व्याप्त अशिक्षा,अज्ञानता, जातिवाद,धर्मान्धता,आतकवाद,शोषण,नशाखोरी,औषधिदुरूपयोग, हत्या,बलात्कार,महिलाओं पर हो रहें अत्याचार,सामाजिक अपराध,दहेजप्रथा,बाल श्रमिक,महिला श्रमिक तथा सामाजिक कुरीतियों के निराकरण हेतु जन चेतना का विकास करना तथा सभा,गोष्ठी,सेमिनार,कार्यशाला आदि का आयेाजन कर जागरूकता का विकास करना तथा इनको समाप्त करने का प्रयास करना ।	20. तदैव ।
21.	समाज के गरीब,असहाय,विकलांग,दलित,अल्पसंख्यक,अनाथ बच्चों,महिलाओं,अनुसूचित जाति,जनजाति,पिछड़ी जाति,विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं के सामाजिक आर्थिक,नैतिक, मानसिक,सांस्कृतिक तथा शैक्षिक उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करना तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार से मिलने वाली आर्थिक सुविधाओं से उन्हें लाभान्वित कराने का प्रयास करना ।	21. तदैव ।
22.	असाध्य रोग यथा एड्स,कैंसर,कालाजार,कुष्ठ,हेपेटाईटिस बी,एच0आई0भी0संक्रमण से बचने के लिए आवश्यक चिकित्सा,दवा,स्वास्थ्य सेवा तथा पुर्नवास की व्यवस्था करना तथा सभा,गोष्ठी,पदयात्रा आदि के माध्यम से रोकथाम एवं उन्मूलन के लिए कार्य करना । साथ ही मूक बधिर,नेत्रहीन,मानसिक रूप से अविकसित बच्चों,व्यस्कों, महिलाओं के लिए चिकित्सा,पुर्नवास एवं कृत्रिम अंग की व्यवस्था कराने का हर संभव प्रयास करना ।	22. तदैव ।
23.	ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब,असहाय,विकलांग महिलाओं एवं पुरूषों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई,कटिंग,बुनाई,पत्तीक निर्माण,गुड़िया निर्माण,लघु उद्योग,मधुमक्खी पालन,गौपालन,बकरीपालन,सुअरपालन, डेयरी उद्योग,मत्स्यपालन,मोमबत्ती उद्योग,साबुन उद्योग,सर्फ उद्योग, पशुपालन आदि का प्रशिक्षण देना तथा प्रशिक्षण का संचालन करना ।	23. तदैव ।

24. कला एवं साांस्कृतिक विकास के लिए नृत्य,संगीत,वाद्ययंत्र आदि के माध्यम से कला का प्रचार–प्रसार करना,प्रशिक्षण की व्यवस्था करना । महिला कलाकार,बाल कलाकार एवं युवा कलाकारों को प्रोत्साहित करना एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना ।	24. तदैव ।

Secretary
Devi Sh...

5. निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम,पिता/पति का नाम,पता,पेशा एवं पद नीचे दिया गया है । वर्तमान के कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं,जिनपर संस्था के नियमानुसार प्रबंध का भार सौंपा गया है ।

क0 सं0	नाम,पिता/पति का नाम	पता	पेशा	पद
1.	श्री अनिल सिंह पिता–श्री सिया राम सिंह	मोहल्ला–खिलनगंज सासाराम थाना+पो0+अंचल–सासाराम ,जिला–रोहतास,बिहार	व्यवसाय/सह समाज सेवा	अध्यक्ष
2	श्री सच्चिदानंद ओझा पिता–स्व0 जगन्नाथ ओझा	मोहल्ला खिलनगंज सासाराम थाना+पो0+अंचल–सासाराम ,जिला–रोहतास,बिहार	अध्ययन सह समाज सेवा	सचिव
3	श्री दुष्यंत कुमार सिंह पिता–श्री गोविन्द प्रसाद सिंह	मोहल्ला खिलनगंज सासाराम थाना+पो0+अंचल–सासाराम ,जिला रोहतास,बिहार	कृषि सह समाज सेवा	कोषाध्यक्ष
4	श्री प्रदीप गुप्ता पिता–श्री मुंशी प्रसाद गुप्ता	नयका गांव धर्मशाला थाना+पो0 सासाराम जिला रोहतास,बिहार	व्यवसाय/सह समाज सेवा	सदस्य
5	आशीष कुमार पिता–प्रेमचंद्र प्रसाद चौरसिया	मोहल्ला खिलनगंज सासाराम थाना+पो0+अंचल–सासाराम ,जिला रोहतास,बिहार	समाज सेवा	सदस्य
6	श्री दीपक राज पिता–स्व0 सुखदेव प्रसाद	मोहल्ला खिलनगंज सासाराम थाना+पो0+अंचल–सासाराम ,जिला रोहतास,बिहार	व्यवसाय/सह समाज सेवा	सदस्य
7	श्री विनोद कुमार पिता–जगदीश प्रसाद गुप्ता	मु0 शेरगंज, थाना+पो0 सासाराम, जिला रोहतास,बिहार	समाज सेवा	सदस्य

5. निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम,पिता/पति का नाम,पता,पेशा एवं पद नीचे दिया गया है । वर्तमान के कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं,जिनपर संस्था के नियमानुसार प्रबंध का भार सौंपा गया है ।

क0 सं0	नाम,पिता/पति का नाम	पता	पेशा	पद
1.	तदैव । अनिल कुमार सिंह		समाज सेवा	सचिव
2	तदैव ।		समाज सेवा	अध्यक्ष
3	दीपक कुमार पिता–बुधन प्रसाद	87,गली नं0–4,खिलनगंज, सासाराम,रोहतास बिहार 821115	समाज सेवा	कोषाध्यक्ष
4	तदैव । प्रदीप कुमार गुप्ता	मोहल्ला खिलनगंज, डाकघर सासाराम, जिला रोहतास ।	समाज सेवा	सदस्य
5	पुनम कुमारी पति–रौशन कुमार	78 श्री मेन गली, वार्ड नं0–31,खिलनगंज, सासाराम,रोहतास ।	समाज सेवा	सदस्य
6	अभय सिंह पिता–अनिरूद्ध सिंह	ग्राम+पो0–अवरैयाँ, अंचल+कैमूर,भभुआ	समाज सेवा	सदस्य
7	तदैव ।		समाज सेवा	सदस्य

प्रमाणित किया जाता है कि यह तुलनात्मक स्मृति पत्र की सच्ची प्रति है ।

Sachidanand
अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

सचिव

Secretary
Devi Shakuntalam [illegible]

" देवी शकुन्तलम् प्रतिष्ठान "

की

तुलनात्मक नियमावली

1. **परिभाषा**

क–	संस्था से अभिप्राय है	:–	" देवी शकुन्तलम् प्रतिष्ठान "
ख–	समिति से अभिप्राय है	:–	संस्था की कार्यकारिणी समिति ।
ग–	पदाधिकारी से अभिप्राय है	:–	अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष ।
घ–	वर्ष से अभिप्राय है	:–	01 ली अप्रैल से 31 मार्च तक ।
ङ–	एक्ट से अभिप्राय है	:–	सोसाईटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21,1860 ।

2. **सदस्यता**

कोई भी महिला एवं पुरूष जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक उम्र के होगें,और जो संस्था के नियमों एवं उद्देश्यों का पालन करेंगे, संस्था का सदस्य बन सकते है । सदस्य बनने के लिए आवेदन पत्र देना होगा, जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रदान की जाएगी संस्था के प्रत्येक सदस्य को 51/–रूपया वार्षिक सदस्यता शुल्क देना अनिवार्य होगा ।

3. **सदस्यता से विमुक्ति :–**

क– स्वयं त्याग पत्र देने पर ।
ख– पागल या मृत्यु होने पर ।
ग– न्यायालय द्वारा दंडित होने पर ।
घ– सदस्यता शुल्क लगातार तीन वर्ष तक नहीं देने पर ।
ङ– लगातार तीन बैठकों में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने पर ।
च– समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर ।

" देवी शकुन्तलम् प्रतिष्ठान "

की

तुलनात्मक नियमावली

1. **परिभाषा**

क–	संस्था से अभिप्राय है	:–	तदैव ।
ख–	समिति से अभिप्राय है	:–	तदैव ।
ग–	पदाधिकारी से अभिप्राय है	:–	तदैव ।
घ–	वर्ष से अभिप्राय है	:–	तदैव ।
ङ–	एक्ट से अभिप्राय है	:–	तदैव ।

2. **सदस्यता**

तदैव ।

3. **सदस्यता से विमुक्ति :–**

क– तदैव ।
ख– तदैव ।
ग– तदैव ।
घ– तदैव ।
ङ– तदैव ।
च– तदैव ।

Anil

4. **कार्यकारिणी समिति का गठन :–**	4. **कार्यकारिणी समिति का गठन :–**
क– कार्यकारिणी समिति में पदाधिकारी सहित कम से कम 07 सदस्य होंगे ।	क– तदैव ।
ख– कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव आमसभा द्वारा किया जाएगा ।	ख– तदैव ।
ग– समिति का कार्यकाल पॉच वर्षो की होगा । सेवा निवृत सदस्य पुनः चुने जा सकते है ।	ग– तदैव ।
घ– अगर समिति का कोई पद रिक्त होगा तो शेष अवधि के लिए उक्त पद पर किसी सदस्य को मनोनीत कर सकती है किन्तु वार्षिक बेठक में विधिवत चुनाव करा लेना होगा । चुने हुए पदाधिकारी एवं सदस्य अपने पद के अनुरूप कार्य करेंगें ।	घ– तदैव ।
5. **कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कार्य :–**	5. **कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कार्य :–**
क– संस्था के चल एवं अचल सम्पति के उत्तरदायी होगा ।	क– तदैव ।
ख– संस्था के सभी कार्यो का सम्पादन विधिवत करना तथा प्रस्ताव पारित करना ।	ख– तदैव ।
ग– शाखा एवं उपशाखा का गठन करना ।	ग– तदैव ।
घ– उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।	घ– तदैव ।
6. **आम सभा के अधिकार एवं कर्त्तव्य :–**	6. **आम सभा के अधिकार एवं कर्त्तव्य :–**
क– समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निर्वाचन करना ।	क– तदैव ।
ख– संस्था के आय व्यय लेखा पर विचार कर स्वीकृति देना ।	ख– तदैव ।

7. **बैठक :–** क– कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक छः माह में होगी ख– आमसभा की बैठक प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में होगी ग– कार्यकारिणी समिति की अत्यावश्यक बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है । घ– आमसभा की विशेष बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है ।	7. **बैठक :–** क– तदैव । ख– तदैव । ग– तदैव । घ– तदैव ।
8. **बैठक की सूचना :–** क– कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दी जाएगी ख– आम सभा के बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जाएगी । ग– कार्यकारिणी समिति की विशेष बैठक की सूचना 4 दिन पूर्व दी जाएगी । घ– आम सभा की विशेष बैठक की सूचना 04 दिन पूर्व दी जाएगी । ङ– बैठक की सूचना, सूचना पंजी पर हस्ताक्षर प्राप्त कर या डाक द्वारा दी जाएगी ।	8. **बैठक की सूचना :–** क– तदैव । ख– तदैव । ग– तदैव । घ– तदैव । ङ– तदैव ।
09. **प्रार्थित बैठक** दो तिहाई सदस्यों की लिखित मांग पर आवेदन प्राप्ति के एक माह के अन्दर सचिव को बैठक बुलाना होगा । यदि सचिव उक्त अवधि के अंदर बैठक का आयोजन नहीं करते हैं तो आवेदकों को अधिकार होगा कि आवेदन पत्र में लिखित विषय के लिए बैठक का आयोजन कर सकते हैं।	09. **प्रार्थित बैठक** तदैव ।
10.. **कोरम (गणपूर्ति)** प्रत्येक बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 3/5 बहुमत होगा । कोरम के अभाव मे बैठक स्थगित हो जाएगी और पुनः स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्कता नहीं होगी ।	10.. **कोरम (गणपूर्ति)** तदैव ।

Secretary
Devi Shakuntalam Pratishthan

11. **पदाधिकारियों के कार्य एवं अधिकार :–**

अध्यक्ष

क– संस्था के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना ।

ख– कार्यवाही पंजी पर अपना हस्ताक्षर करना ।

ग– किसी विषय पर समान मत होने की स्थिति में अपने निर्णायक मत का उपयोग करना ।

घ– उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

सचिव

क– संस्था के प्रत्येक बैठक का आयोजन करना ।

ख– संस्था की ओर से पत्राचार करना ।

ग– आय–व्यय का लेखा बैठक में प्रस्तुत करना ।

घ– संस्था के निधि का अंकेक्षण कराना ।

ङ– कार्यवाही को कार्यवाही पंजी में लिखना एवं अध्यक्ष से हस्ताक्षर कराकर अपना हस्ताक्षर करना ।

च– कार्यकारणी समिति की राय से कर्मचारियों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी के आदेश पारित करना

छ– उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

कोषाध्यक्ष

क– संस्था के आय–व्यय का हिसाब रखना और अध्यक्ष के द्वारा आहूत बैठक में प्रस्तुत करना ।

ख– संस्था के सदस्यता शुल्क, प्रवेश शुल्क, दान, चन्दा आदि प्राप्त कर रसीद देना ।

ग– संस्था के कोष को किसी बैंक या डाकघर में संस्था के नाम से जमा करना ।

घ– आवश्यकतानुसार अपने पास 1000/–रू0 तक रखना और विशेष खर्च के लिए समिति की बैठक से पास कराकर कार्य करना ।

11. **पदाधिकारियों के कार्य एवं अधिकार :–**

अध्यक्ष

क– तदैव ।

ख– तदैव ।

ग– तदैव ।

घ– तदैव ।

सचिव

क– तदैव ।

ख– तदैव ।

ग– तदैव ।

घ– तदैव ।

ङ– तदैव ।

च– तदैव ।

छ– तदैव ।

कोषाध्यक्ष

क– तदैव ।

ख– तदैव ।

ग– तदैव ।

घ– तदैव ।

12. **आय का श्रोत :–** क– सदस्यता शुल्क एवं प्रवेश शुल्क । ख– सरकारी, गैर सरकारी,दान, अनुदान, सहायता । ग– प्रशिक्षण के दौरान संस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं के बिकी से ।	12. **आय का श्रोत :–** क– तदैव । ख– तदैव । ग– तदैव ।
13. **निधि का अंकेक्षण :–** क– संस्था की आय–व्यय का लेखा नियमित रूप से रखा जाएगा तथा आमसभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से प्रतिवर्ष अंकेक्षित कराया जाएगा । ख– निबंधन महानिरीक्षक,बिहार अपने विवेक से जब भी चाहे संस्था का अंकेक्षण मान्यता प्राप्त चार्टड एकाउन्टेन्ट से करा सकते है । इस अंकेक्षण हेतु चार्टडएकाउन्टेन्ट का शुल्क संस्था द्वारा वहन किया जाएगा ।	13. **निधि का अंकेक्षण :–** क– तदैव । ख– तदैव ।
14. **कोष का संचालन :–** संस्था के सभी कोष को किसी बैंक या डाकघर में संस्था के नाम पर जमा किया जायेगा, जिसकी निकासी अध्यक्ष,सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर से की जायेगी ।	14. **कोष का संचालन :–** तदैव ।
15. **पंजी का निरीक्षण :–** संस्था का सभी पंजियां निबंधित कार्यालय में जमा रहेगी जहाँ कोई भी सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से सदस्य पंजी लेखा पंजी एवं कार्यवाही पंजी का निरीक्षण कर सकते है ।	15. **पंजी का निरीक्षण :–** तदैव ।
16. **नियमावली में संशोधन :** नियमावली में संशोधन आमसभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जाएगा ।	16. **नियमावली में संशोधन :** तदैव ।

17. <u>कानूनी कार्रवाई –</u> संस्था पर या संस्था के द्वारा कानूनी कार्रवाई सचिव के पदनाम से होगी तथा अधिवक्ता की नियुक्ति समिति के सलाह से की जायेगी ।	17. <u>कानूनी कार्रवाई –</u> तदैव ।
18. **<u>विघटन एवं विघटनोपरान्त सम्पति की व्यवस्था :–</u>** क– संस्था का विघटन संस्था अधिनियम 1860 के धारा–13 के आलोक में सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जायेगा । ख– आमसभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही संस्था का विघटन किया जायेगा । ग– विघटन के उपरान्त जो चल एवं अचल सम्पति बचेगी वह किसी सदस्य या गैर सदस्यों में नहीं बांटी जायेगी बल्कि आम सभा की सहमति से समान उद्देश्य वाली संस्था या सरकार को दे दी जायेगी ।	18. <u>विघटन एवं विघटनोपरान्त सम्पति की व्यवस्था :–</u> क– तदैव । ख– तदैव । ग– तदैव ।

प्रमाणित किया जाता है कि यह तुलनात्मक नियमावली की सच्ची प्रति है ।

अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

सचिव